लिए लिखा गया था । परन्तु दुःख है कि, दिसम्बर के अन्त में प्रबंधन ने यूनियन से बिना पूछे या किसी प्रकार का नोटिस दिए रोलेक्स मशीन का उत्पादन ब्लास्टिंग के उत्पादन से अलग कर लिखवाना शुरू किया, जिसका मजदूरों की कमाई पर बुरा प्रभाव पड़ा । ऐसा करके प्रबधन ने औद्योगिक विवाद कानून का खुला उल्लंघन किया है ।

कारखाने के प्लास्टिंग विभाग के मजदूरों ने गत जनवरी माह में हस्ताक्षर एकत्र कर प्रबंधन को उक्त नीति को बदलने के लिए अनुरोध किया । प्रबंधन ने यूनियन को सूचित किए बगैर ही 22 फरवरी को उक्त विभाग के मजदूरों को वार्तालाप के लिए बुलाया । प्रबधन की ओर से विभागीय पदाधिकारी ने वार्तालाप में भाग लिया । परन्तु उन्होंने किसी निर्णय पर पहुंचने में अपनी असमर्थता प्रकट की । उसके बाद आयोग वार्तालाप में विभाग के वरिष्ट पदाधिकारी ने भाग लिया । उन्होंने एकत्र मजदूरों के विरुद्ध अपशब्द कहे तथा उन्हें अपमानित किया । फलतः मजदूरों ने हड़ताल कर दी जो आज भी जारी है ।

बिहार सरकार के श्रम विभाग ने हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया है । प्रबंधन ने कुछ मजदूरों पर मुकदमा चला रखा है । उन पर मुअत्तली और चार्ज-शीट की तलवार लटक रही है ।

अगर हड़ताल को शीघ्र समाप्त नहीं करवाया गया तो विस्फोटक के अभाव में कोयला खान और कोयले के अभाव में स्टील प्लांट बुरी तरह से प्रभावित होंगे । अतः श्रम मत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वे वहां की स्थिति में हस्तक्षेप करें और मजदूरों के सहयोग से सामान्य स्थिति उत्पन्न करने में सहायक हों ।

**(vi) NEED FOR ADEQATE WAGES TO THE LABOUREFS ENGAGED IN PLUCKING TENDU LEAVES.**

**श्री बाबू राव परांजपे (जबलपुर) :** मध्य प्रदेश बनों से भरा है तथा अनेक प्रकार की बनोपज यहां पर प्रचुर मात्रा में होती है । यहां के बनवासी गरीब मजदूर बनोपज से प्राप्त रोजी पर आधारित हैं ।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा लघु बनोपज का राष्ट्रीयकरण करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि बिचौलियों को हटा कर वन श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाई जायगी । इस बीच सरकार को केवल तेन्दू पत्ते की वार्षिक आय एक करोड़ से बढ़ कर 40 करोड़ तक पहुंच गई है तथा तेन्दू पत्ते का बाजार भाव भी प्रति सौ गड्डी का 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये तक हो गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा वनवासी मजदूरों को जो कठिन मेहनत से पत्ता तोड़ते हैं तथा बांधते हैं, को मात्र 5 रुपये 25 पैसे मजदूरी देना तय किया है ।

वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों की निम्नतम मजदूरी सात रुपये दैनिक सरकार द्वारा निश्चित हो गई है लेकिन देखा जा रहा है कि देन्दू पत्ता कटाई के समय मजदूरों को मात्र 2 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे, प्रतिदिन ही दी जाती है जो उन का प्रत्यक्ष शोषण है । इसी प्रकार सरई बीज का बाजार भाव दो रुपये से सवा दो रुपये प्रति किलो तक हो गया है, लेकिन मजदूरों को इस की मजदूरी आठ पैसे प्रति किलो दी जाती है ।

मैं केन्द्रीय शासन से प्रार्थना करता हूं कि तेन्दू पत्ता तुड़ाई की मजदूरी आठ रुपये, सरई बीज की मजदूरी 1 रुपये प्रति किलो तथा वनवासी मजदूरों की निम्नतम मजदूरी जो सात रुपये दैनिक है वह दिलवाने का प्रबंध करें और उन का शोषण बन्द करावें ।